



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्या 1459/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2021/04-मा०सं०(04)/2011 (टीसी) दिनांक 12/07/2021

पंजीकृत

मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/II),  
अनपरा/ओबरा/पनकी/पारीछा/  
हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना,  
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/कानपुर/  
झाँसी/कासिमपुर (अलीगढ़)।

मुख्य अभियन्ता (स्तर- II),  
जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना,  
जवाहरपुर तापीय विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
मलावन (एटा)।


विषय- चिकित्सा परिषद की बैठक प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निगम के कार्यालय ज्ञाप- 1451/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2021 दिनांक 09.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चिकित्सा परिषद की बैठक प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह जुलाई, 2021 को तीसरे गुरुवार को होने वाली बैठक दिनांक 15.07.2021 को आयोजित की जा रही है। अतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा परिषद की बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित को सूचित करते हुए यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- चिकित्सा बोर्ड की संस्तुति प्रमाण-पत्र।

भवदीय,



(डी०के० शर्मा)

संयोजक/अधीक्षक अभियन्ता (मा०सं०-04)

पत्र संख्या-1459(1)/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
2. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (मा०सं०/वित्त/पी०पी०एम०एम०/जानपद/जानपद नव परियोजनायें- I, II/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य/तापीय परियोजना), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज, कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/जवाहरपुर, मलावन(एटा)/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष/सचिव/सदस्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।

शेष पृष्ठ-02 पर.....

(2)

6. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट छितवापुर भुइयन, 12 आफ स्टेशन रोड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित को सूचित करने का कष्ट करें।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्साधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
8. उपमहाप्रबन्धक/अधी०अभि०/अधि०अभि०(मा०सं०-०१/०२/०३/०४/०५)/(औ०सं०/रिफॉर्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
9. कार्मिक अधिकारी (औ०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कट फाईल।

(डी०के० शर्मा)  
संयोजक/अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-०४)

उत्पादन निगम लि० चिकित्सा बोर्ड की दिनांक .....की बैठक की संस्तुति (आदेश सं०-१४२३ दिनांक ०९.१२.२०११)

१. मरीज का नाम व उम्र.....
२. कार्मिक का नाम व पदनाम.....
३. कार्मिक से मरीज का सम्बन्ध.....
४. कार्मिक का तैनाती स्थल.....
५. अगर सेवानिवृत्त तो पेंशन आहरित करने का पता (पीपीओ सं०).....
६. रोग का नाम.....
७. चिकित्सा करने वाले संस्थान/अस्पताल का नाम.....
८. चिकित्सा बोर्ड की संस्तुति.....

उपरोक्त.....

रोग की वाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक चलने वाली चिकित्सा की संस्तुति अगले.....वर्ष तक प्रदान की जाती है।

उप मुख्य चिकित्साधिकारी  
सदस्य

मुख्य चिकित्साधिकारी  
सदस्य

महाप्रबन्धक (चिकित्सा)  
सचिव

निदेशक (वित्त)  
अध्यक्ष

संयोजक  
( उ०नि०लि० चिकित्सा बोर्ड )